

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0  
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एरा0)

मुकदमा नम्बर  
210/2020

तारीख दायर  
07-10-2020

तारीख फैसला

17/05/2022

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 गधुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

-----: वादी

बनाम

01. सायरा पत्नी मलूक
02. अब्बास
03. रूकमुदीन पुत्रान मलूक जाति मेव निवासीगण ग्राम गुरारी तहसील तिजारा जिला अलवर
04. अभयसिंह पुत्र जगराम गुर्जर निवासी ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर
05. सोमनाथ बिल्डटेक प्रा0लि0 जरिये रेजुलेशन हस्ताक्षरकर्ता जसवन्त पुत्र जगराम गुर्जर निवासी मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर
06. गुरदीपसिंह
07. रणजीतसिंह
08. साहबसिंह पुत्रान बरियामसिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
09. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
10. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा टपूकडा जिला अलवर


-----: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइस्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :-

प्रकरण के सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मइस्तनाई दवामी अन्तर्गत 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ल आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। गेश शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक ार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त बजे काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 1/2 भाग व प्रतिवादी ख्या 1 लगायत 8 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। जिस र वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है। रिकार्ड में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 अपने अपने हिस्से के

  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर) राज0

रूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामिलता में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं। हर ईच पर हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डराआज कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 अनुपस्थित इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 10 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 09-12-2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डरा के आधार पर बंटवारा रकीम तैयार कर रिपोर्ट कुरे तलब की गई। चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र क्रमांक: भूअ./2022/5044 दिनांक 04-04-2022 के द्वारा प्रकरण रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुरे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन कुरे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 199 रकवा 0.22 के ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के दिये जाते हैं।

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकवा	किरम	लगान
शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार अ.वि.व. जयें दीपक गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता जाति महाजन सा. सैक्टर 17 फरीदाबाद	199	0.0650	वाराणी 2	0.25705
अब्बास रूकमुदीन पुत्रान सायरा पत्नि मलूक हि0 39/124 मेव सा. मुसारी खातेदार गुरदीप रणजीत सिंह पुत्रान बरियाम सिंह हि0 15/31 साहबसिंह पि0 बरियाम सिंह हि0 3/31 रायसिख सा. देह खातेदार सोमनाथ बिल्डटेक हि0 13/248 प्रा0लि0 जयें रेजूलेशन हस्ताक्षर कर्ता जसवंत पुत्र जगराम गुर्जर खातेदार अभयसिंह पुत्र जगराम हि0 13/248 गुर्जर सा0 मिलकपुर गुर्जर खातेदार	199/1	0.1550	वाराणी 2	0.61295

कसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावे। जारी हो।

आदेश सुनाया गया।



(महेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी,  
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर) राज०